न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.117/प्रा.पत्र/2024 (GCMS No. 2024/181)	14.10.2024	24.06.2025

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1.अलीमा पुत्री इब्राहीम जाति लुहार निवासी लाम्बाखोह, तह. तालेडा
2.अहमद हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति लुहार नि. लाम्बाखोह, तह. तालेडा
3.आशीया पुत्री इब्राहीम जाति लुहार निवासी लाम्बाखोह, तह. तालेडा
4.कदीरन पुत्री इब्राहीम जाति लुहार निवासी लाम्बाखोह, तह. तालेडा
5.मुबारिक हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति लुहार नि. लाम्बाखोह, तह. तालेडा
6.मोहम्मद हुसैन पुत्र इब्राहीम जाति लुहार नि. लाम्बाखोह, तह. तालेडा

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी इब्राहिम को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 376 रकबा 03 बीघा वाकेग्राम लाम्बाखोह आवंटन आदेश दिनांक 07.11.1977 को निरस्त क़िये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 117/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/181 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1802 दिनांक 26.05.25 के अनुसार मजमे आम में जानकारी करने पर बताया कि उक्त गैर खातेदारान के पिताजी

जिला कलेक्टर, बून्दी

इब्राहिम लुहार लगभग 30–40 वर्षो पूर्व ग्राम लाम्बाखोह छोडकर अन्यत्र स्थान पर चले गये है। उक्त अप्रार्थीगण के वर्तमान निवास की जानकारी ग्रामवासियान को नहीं होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण के वर्तमान निवास की सूचना ज्ञात नहीं होने से तामील के अभाव में प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि में पत्थर ड़ले हुये है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि इब्राहिम आ. भूरजी जाति लुहार निवासी लाम्बाखोह को दिनांक 07.11.1977 को भूमि खसरा सं. 376 रकबा 03 बीघा वाकेग्राम लाम्बाखोह का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम लाम्बाखोह की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 856/376 रकबा 0.4856 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, आईएलआर एव नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि में पत्थर ड़ले हुये है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2023 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में गैर खातेदारान के ग्राम लाम्बाखोह में निवास नहीं करना, भूमि पर उनका कब्जा काश्त नहीं होकर मौके पर पत्थर पड़े हुये होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पडत होना प्रकट है। इस प्रकार प्रकरण में गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

जिला कलेक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, मौके पर भूमि में पत्थर पड़े हुये होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता इब्राहिम आ. भूरजी जाति लुहार निवासी लाम्बाखोह को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 376 रकबा 03 बीघा (हाल ख.सं. 856/376 रकबा 0.4856 हैक्टेयर) वाकेग्राम लाम्बाखोह दिनांक 07.11.1977 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिकमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर
बून्दी (राज.)